न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डीओ.)कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

पत्रावली संख्या 06 / 2023 प्रार्थना पत्र

श्रीमती रूकमणीबाई बनाम डालुराम वगैराह

दिनांक	आदेशिका	हस्ताक्षर / सूचना
13/6/24	पत्रावली पेश हुई । अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित है । विपक्षीगण की तमीले पर्याप्त है न्यायालय समय मे बार–बार आवाजे लगवाई परन्तु स्वयं या इनकी ओर से कोई उपस्थित नही हुआ जिससे इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है । अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई । अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे बताया कि ग्राम खरनोटा तहसील गढबोर की आराजी नंबर 2214 / 358 रकबा 00.05.00 बीघा भूमि उसके ससुर प्रेमसिंह पिता वसनसिंह को आवंटित हुई थी । तब से कब्जा चला आ रहा है व उक्त भूमि पर बने मकान व बाडे का वर्षो से उपयोग उपभोग कर रहे है ।विपक्षीगण दादागिरी के बल पर प्रार्थीया को बेदखल कर भूमि को खुर्द–बुर्द कर कब्जा अतिक्रमण करने पर उतारू है अतः विपक्षीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि उक्त वादग्रस्त भूमि मे प्रवेश नही करे । बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । अवलोकन से सिद्व है कि उक्त वादग्रस्त भूमि वर्तमान जमाबन्दी मे अंकित नही है व प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न जमाबन्दी मे दर्शाइ गई आराजी नंबर 2220 / 358 है नाामान्तरकरण की फोटो प्रति मे 2214 / 358 अंकित है व मकान दर्ज है । संलग्न जमाबन्दी मे दर्शाई गई आराजी नंबर 2220 / 358 खाता संख्या 1 मे दर्ज है व किस्म मकान अंकित है जिसका क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को न होने से प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.08.08 16:41:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(एस.डी ओ.) कुम्भलगढ़
जिला–राजसमन्द

उपखण्ड अधिकारी ... जिला–राजसमन्द